राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

47वीं बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2013 से संबंधित कार्य बिन्दु

क्र.सं..	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नीति निर्देशों के अनुरुप उत्तराखंड राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा के उपरांत प्रभावितों के पुनर्वासन एवं जीविकोपार्जन हेतु उनके द्वारा समुचित एवं त्वरित कार्रवाई की जाये। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
2	**i)** उत्तराखंड राज्य के चयनित 3 जिलों (टिहरी गढ़वाल, चम्पावत एवं बागेश्वर) में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) योजना के अंतर्गत संबंधित विभागों से प्राप्त लाभार्थियों के डाटाबेस की त्रुटियों को अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला प्रशासन से संपर्क कर उनका शीघ्र निराकरण करवायें। **ii)** राज्य सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि जब तक टिहरी गढ़वाल, चम्पावत एवं बागेश्वर जिलों के सभी पात्र निवासियों को "एन0पी0आर0 संख्या / आधार कार्ड " उपलब्ध करायें जायें तब तक बैंक के0वाई0सी0 (Know Your Customers) के आधार पर ही डी0बी0टी0 का कार्य आरम्भ करा सकते हैं। **(कार्रवाई – समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
3	बैंकों द्वारा राज्य प्रशासन से पुन: अनुरोध किया गया कि डी0बी0टी0 चयनित जिलों के अतिरिक्त राज्य के अन्य 10 जिलों में भी लाभार्थियों का डाटाबेस संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध करायें ताकि भविष्य में इन जिलों में डी0बी0टी0 के लागू होने पर, इस प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। **(कार्रवाई – राज्य सरकार / अग्रणी जिला प्रबंधक / संबंधित बैंक)**	

4	भारत सरकार द्वारा राज्य में 5 जिलों के 10 चयनित ब्लाकों में एन0आर0एल0एम0 (**National Rural Livelihood Mission**) योजना को पायलट आधार पर आरम्भ किया जा रहा है तथा **रुरल वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम** को भी द्वितीय चरण में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों (SHGs / Individuals etc.) को बैंकों द्वारा सरलतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराये जायें, जिस पर सरकार द्वारा **"इनटरेस्ट सब्सिडी"** दिये जाने का प्रावधान है। **(कार्रवाई – राज्य प्रशासन/ समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
5.	**i)** ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि **उत्तरकाशी जिले** में आयी प्राकृतिक आपदा के कारण, वहाँ की आरसेटी संस्थान हेतु चयनित भूमि क्षतिग्रस्त (Washed Away) हो गयी है। अत: बैंक का प्रशासन से अनुरोध है कि इसके लिये वैकल्पिक भूमि का प्रबंध शीघ्र किया जाये। **ii) चम्पावत जिले** में भी संस्थान हेतु चयनित भूमि को हस्तांतरित करने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून से प्रतीक्षित है। **(कार्रवाई – सचिव (ग्राम्य विकास) / संबंधित निदेशक (आरसेटी)**	
6	सचिव (पर्यटन एवं परिवहन), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में अयी प्राकृतिक आपदा से पर्यटन / परिवहन क्षेत्र के प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने इन क्षेत्र में लगने वाले विभिन्न करों (Tax Relief) में रियायत दी है एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया कि जिन प्रभावितों की परिसंपत्ति / आस्तियाँ (Assets) पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है उन्हें अपने व्यवसाय को पुन: आरम्भ करने हेतु उदारतापूर्वक ऋण प्रदान	

	(e.g. Relaxation in interest Rate, Margin Money & Repayment Schedules) किये जाने हेतु नीति निर्धारित करें। (कार्रवाई समस्त बैंक नियंत्रक)	
7.	**i)** वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बी0एस0एन0एल0 को वांछित ग्रामों (10437) की ब्लाकवार सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गयी है ताकि राज्य के समस्त ग्रामों में ऑन लाइन बैंकिंग सेवाओं के प्रदान करने हेतु बी0एस0एन0एल0 द्वारा ब्रॉड बैण्ड / वाई मैक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा सके। **ii)** अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले के उन स्थान / क्षेत्र (Areas & Pockets), जहाँ पर ब्रॉड बैण्ड / वाई मैक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित कर बी0एस0एन0एल0 के Telcom District Manager को सूचित करें, ताकि वे बैंकिंग सेवाओं के लिये कनेक्टिविटी विषय पर अपने उच्चाधिकारियों से निर्णय प्राप्त कर सकें। (कार्रवाई – टी0डी0एम0,बी0एस0एन0एल0/ अग्रणी जिला प्रबंधक)	
8	एन0आई0सी0 द्वारा बैंकों के लिये **Online creation of charge on land against loan** पर "सॉफ्टवेयर" तैयार कर लिया गया है। इसी क्रम में एन0आई0सी0 से अनुरोध है कि सभी बैंकों के नोडल अधिकारी को उनके " कोर बैंकिंग सिस्टम " के अनुरुप लागू करवाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि वे अपनी शाखाओं में इस साफ्टवेयर को व्यवहारिक रुप से आरम्भ करवा सकें। **Online creation of charge on land against loan** से संबंधित सूचनायें राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध हों और बैंकों को इसे देखने का अधिकार (**Viewing Rights**) प्राप्त हो। (कार्रवाई राज्य सरकार/एन0आई0सी0/बैंक नियंत्रक)	

9	**i)** मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (संयोजक, एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंड) ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को, वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक **"रु पे किसान डेबिट कार्ड"** उपलब्ध करा दें, ताकि वे कहीं भी किसी भी बैंक के वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर सकें। **ii)** इसी क्रम में सहकारी बैंक एवं उनके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी में भी सी0बी0एस0 प्रणाली लागू करनी होगी, ताकि उनसे संबद्व के0सी0सी0 धारक कृषकों को भी **" रु पे किसान डेबिट कार्ड "** का लाभ प्राप्त हो सके। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
10	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (संयोजक, एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंड) ने सभी बैंकों से अपील किया कि वार्षिक ऋण योजना 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष **दिसम्बर, 2013 – जनवरी, 2014** तक शत प्रतिशत उपलब्धि अवश्य दर्ज कर लें। **(कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक)**	
11	बैंकों ने राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया कि उनके द्वारा जारी किए गए **" वसूली प्रमाण पत्र "** को राज्य / जिला के **Website Portal** पर **" ऑन लाइन फाइलिंग "** करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ताकि बैंक ऋणों की बकाया राशि के अनुश्रवण में सुधार लाया जा सके। **(कार्रवाई राज्य सरकार/एन0आई0सी0)**	
12	बैंकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत "क्लस्टर एप्रोच विलेज" में बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने हेतु	**बैंकवार 31 दिसम्बर, 2013 तक की प्रगति** **बैंक का नाम ; _____**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>तीन वर्ष --मार्च, 2013, मार्च, 2014 एवं मार्च 2015 तक की समय सीमा दी गयी है, परंतु बैंकों द्वारा सितम्बर, 2013 तक मात्र 1609 ग्रामों को ही बैंकिंग सेवाओं से आच्छदित किया गया है। अत; वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ पिछले वर्ष के “ बैकलॉग ” (Backlog) को भी प्राप्त करें।

(कार्रवाई – संबंधित बैंक)</td>
<td><table>
<tr><th>समय सीमा</th><th>क्लस्टरों की संख्या</th><th>आच्छादित क्लस्टर</th><th>गाँव की संख्या</th><th>आच्छादित गाँव</th></tr>
<tr><td>मार्च, 2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मार्च, 2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मार्च, 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 2013 तक के एस0एल0बी0सी0 डाटा (विवरणी 1-49) जाँच कर दिनांक 18 जनवरी, 2013 तक अनिवार्य रूप से ई मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

****